28.04.2021, Period-2
SC-102, SEM-1, AE S.B. Choudhury Page (2)

(6) **शिक्षा बालक की आवश्यकता तथा समाज की माँग के अनुसार** (Education according to Need of Child and Demand of Community) – स्कूल को ...चाहिये कि वह एक ओर बालक की आवश्यकताओं तथा दूसरी ओर समुदाय की माँगों के अनुसार शिक्षा की प्रक्रिया को संचालित करे। ऐसी शिक्षा प्राप्त करके न तो बालक को सामुदायिक विकास के कार्यों में भाग लेते हुए किसी कठिनाई का अनुभव होगा और न ही समुदाय की यह धारणा बनेगी कि स्कूल बालक को केवल मानसिक शिक्षा दे रहा है अपितु ऐसी शिक्षा दे रहा है जो सम्पूर्ण समुदाय के लिए लाभप्रद है। यदि स्कूल समुदाय को इस प्रकार की सहायता देता रहेगा तो समुदाय का कार्य अत्यन्त प्रभावशाली बन जायेगा।

(7) **आलोचनात्मक शक्तियों का विकास** (Development of Critical Powers) – प्रत्येक समुदाय की अपनी निजी संस्कृति होती है। अतः प्रत्येक समुदाय अपने बालकों को केवल अपनी ही संस्कृति का ज्ञान देना अपना परम कर्त्तव्य समझता है। यह उचित नहीं है। समुदाय को चाहिये कि वह बालक को केवल सांस्कृतिक सम्पत्ति का ज्ञान ही न दे अपितु उसमें ऐसी आलोचनात्मक शक्तियों का विकास भी करे जिनके आधार पर वह अपनी संस्कृति का उचित मूल्यांकन कर सके तथा उसके दोषों को दूर भी कर

(8) **अन्य साधनों के साथ सहयोग** (Co-operation with Other Agencies) – समुदाय को शिक्षा का प्रभावशाली साधन बनाने के लिए यह आवश्यक है कि वह परिवार, स्कूल तथा राज्य जैसी महत्त्वपूर्ण संस्थाओं के साथ निकटतम सम्पर्क स्थापित करे। माता-पिता, शिक्षकों तथा राज्य के अधिकारी वर्ग को भी समुदाय की उन्नति के लिए अधिक से अधिक सहयोग प्रदान करना चाहिये।

(9) **राज्य की सहायता** (Assistance of State) – समुदाय को शिक्षा का प्रभावशाली साधन बनाने के लिए राज्य का सहयोग भी परम आवश्यक है। राज्य को चाहिये कि वह समुदाय द्वारा खोले गये स्कूलों को अधिक से अधिक आर्थिक सहायता दे, उनका निरीक्षण करे तथा सामाजिक सुरक्षा के नियमों का पालन करे। यही नहीं, राज्य को सामुदायिक केन्द्रों, सामाजिक शिक्षा योजनाओं, रेडियो प्रसारण, निःशुल्क फिल्म-शो तथा चलते-फिरते पुस्तकालयों की व्यवस्था भी करनी चाहिये।